

# उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

80, वसंत विहार, फेज-I, देहरादून-248006

अधिसूचना  
18 मई, 2007

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, 1 MW तक की क्षमता वाले उत्पादक स्टेशनों के लिये प्रारम्भिक शुल्क हेतु दृष्टिकोण पर, आदेश दि० 10.11.2005 का निम्नलिखित संशोधन करता है :-

मूल आदेश दि० 10.11.2005 के पैरा 6 के पश्चात निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाये :-

7. पैरा 6 में दिया गया विकल्प, ऐसे स्टेशनों से उत्पादित विद्युत के विक्रय हेतु 5 MW तक की क्षमता वाले हाइड्रो उत्पादक स्टेशनों को भी उपलब्ध होगा।

आदेश से,

आनंद कुमार  
सचिव  
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

## समक्ष

# उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग

के विषय में : 08.09.2005 को परिचालित “ 1 MW तक की क्षमता वाले उत्पादक स्टेशनों के लिये प्रारम्भिक शुल्क पर दृष्टिकोण” पर लेख

## एवं

के विषय में : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (9) के अधीन 1 MW तक की स्थापित क्षमता वाले हाइड्रो उत्पादक स्टेशनों हेतु शुल्क अवधारण

## कोरम

श्री दिवाकर देव, अध्यक्ष

आदेश की तिथि 10 नवम्बर, 2005

## आदेश

विद्युत अधिनियम, 2003 (इससे आगे “अधिनियम” संदर्भित) धारा 62 (1) (ए) में राज्य आयोग से अपेक्षा करता है कि वह एक वितरण अनुज्ञापिधारी को एक उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत विक्रय हेतु शुल्क अवधारित करे। इस सम्बन्ध में, उत्पादक स्टेशन की क्षमता के आधार पर कोई अपवाद नहीं बनाया गया है। अतः भले ही 1 MW तक की क्षमता वाला एक छोटा हाइड्रो उत्पादक स्टेशन, वितरण अनुज्ञापिधारी को विद्युत विक्रय करता है, ऐसे विक्रय हेतु शुल्क, इस धारा के अधीन आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा। आयोग पहले ही उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (हाइड्रो उत्पादन शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004, 14 मई, 2004 को अधिसूचित कर चुका है जिसे इससे आगे “विनियम” संदर्भित किया गया है। ये विनियम, प्रारंभ में, उत्तरांचल में अवस्थित 25 MW से अधिक की स्थापित क्षमता वाले हाइड्रो ऊर्जा स्टेशनों पर लागू कराये गये थे। लघु हाइड्रो ऊर्जा (एसएचपी) स्टेशनों के लिये भिन्न विनियमों के अधिसूचित होने तक, आयोग की इस मंशा के साथ कि अपेक्षित शिथिलताएं निर्मित की जायेंगी, एसएचपी स्टेशनों पर इन विनियमों को लागू किया गया।

2. उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूआरईडीए) तथा कुछ अन्य ने आयोग को अभिवेदन किया है कि 1 MW से अधिक की क्षमता वाले लघु हाइड्रो उत्पादक स्टेशनों की कुछ विशिष्टताएं हैं जिनके कारण उपरोक्त विनियमों में बताये गये दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण आवश्यक है। ऐसी कुछ विशिष्टताएं हैं, पहुंच से दूर उनकी अवस्थिति, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च पूंजी लागत का होना, जल की उपलब्धता में भारी उतार चढ़ाव, परिणाम स्वरूप उत्पादन में भारी परिवर्तन रहना, स्थानीय मांग का सीमित होना, विशेष रूप से अधिकतम मांग समय में तथा प्रारम्भिक रूप से प्रकाश के उद्देश्य से। इनमें से कुछ प्रस्तुतिकरणों के गुणावगुण को मानते हुए आयोग ने 1 MW तक की क्षमता वाले अति लघु हाइड्रिल उत्पादक स्टेशनों के लिये प्रारम्भिक शुल्क के दृष्टिकोण पर एक लेख तैयार करवाया। उक्त लेख 08.09.2005 को प्रत्युत्तर एवं सुझावों के लिये जारी किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त लेख की प्रतियां विशिष्ट रूप से निम्नलिखित को भेजी गईं :

- (i) सभी राज्य विद्युत नियामक आयोग
- (ii) राज्य में सभी लघु हाइड्रो उत्पादक कंपनियां
- (iii) राज्य सलाहकार समिति के सभी सदस्य
- (iv) उत्तरांचल सरकार के प्रधान वित्त सचिव, ऊर्जा, उद्योग व योजना सचिव।
- (v) उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० (यूपीसीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।
- (vi) उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।
- (vii) चयनित वित्तीय संस्थान (FIs)

3. उक्त लेख के कुल आठ प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। वे व्यक्ति तथा संगठन जिन्होंने अपने प्रत्युत्तर भेजे, निम्नलिखित हैं :-

- (i) जी.एम. (एसएचपी), यू.जे.वी.एन.एल
- (ii) डा० आर.के. गर्ग, अधिवक्ता
- (iii) निदेशक, उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूआरईडीए)
- (iv) वैकल्पिक हाइड्रो ऊर्जा केन्द्र (एएचईसी) प्रमुख, आईआईटी, रुड़की
- (v) सचिव, ऊर्जा एवं सिंचाई (उत्तरांचल सरकार)
- (vi) सचिव, उड़ीसा विद्युत नियामक आयोग
- (vii) सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग
- (viii) सचिव, केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग

4. राज्य सरकार ने अपने प्रत्युत्तर दि० 13.10.2005 में, दृष्टिकोण लेख में समाविष्ट प्रस्तावों पर अपनी अनापत्ति प्रकट की है। अन्य प्राप्त प्रत्युत्तरों/सुझावों पर नीचे चर्चा की गई है :-

- (i) ऐसी परियोजनाओं की सुदूर व कठिन अवस्थिति को देखते हुए उन पर विशाल हाइड्रो परियोजनाओं (एलएच पीज) हेतु संरचित विनियमों को लागू करना सही नहीं होगा।

उपरोक्त तर्क स्पष्टकारी हैं। यथार्थ रूप से यही कारण है कि विनियमों में शिथिलता परिकल्पित की गई है तथा इस विषय पर एक दृष्टिकोण लेख परिचालित किया गया है।

- (ii) इन परियोजनाओं के लिये प्रचलित शुल्क दरों को विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 43 के साथ पठित अधिनियम की धारा 185 के अधीन विभिन्न संरक्षण प्राप्त हैं।

यह तर्क अधिनियम के असंदिग्धार्थ प्रावधानों के प्रतिकूल है व स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा विधि की गलत व्याख्या पर आधारित प्रतीत होता है।

- (iii) दृष्टिकोण लेख में परिकल्पित ऊर्जा की परिहरित लागत भारत औसत लागत नहीं बल्कि क्रय की गई ऊर्जा की सीमांत लागत होनी चाहिये।

यह सुझाव कि परिधारित लागत, सीमांत लागत होनी चाहिये यानि क्रय विद्युत लागत जिसमें से ऐसे एस.एच. पीज से आपूर्ति के कारण वास्तव में परिधारित की गई है, सैद्धांतिक रूप से युक्तिपूर्ण हो सकता है किन्तु इसे लागू करना लगभग असंभव है। ऊर्जा उत्पादन व क्रय हेतु, प्रत्येक 15 मिनट के स्लाट में, दैनिक आधार पर अग्रिम रूप से अनुसूची बनाई जाती है। इस सुझाव को लागू करने के लिये परिधारित लागत की ऐसे प्रत्येक समय स्लॉट हेतु गणना करनी पड़ेगी तथा इसके लिये ऊर्जा क्रय हेतु योग्यता क्रम के अनुसार सूचीबद्ध प्रत्येक स्रोत से ऊर्जा की उपलब्धता, मांग पर सही व विश्वसनीय सूचना व इन सबसे ऊपर प्रत्येक एस.एच.पी. उत्पादन स्टेशन से यू. पी. सी. एल. को विक्रय हेतु ऊर्जा की उपलब्धता आवश्यक रूप से अपेक्षित होगी। यह समस्त सूचना एक वर्ष में 365 दिनों के लिये प्रत्येक दिन 15 मिनट में प्रत्येक समय स्लाट हेतु अपेक्षित होगी। ये रन आफ द मिल संयंत्र हैं तथा इनका उत्पादन जल की उपलब्धता के अनुसार होता है न कि अनुज्ञप्तिधारी की अपेक्षाओं के अनुसार। इसके अतिरिक्त ये संयंत्र अपना उत्पादन सही रूप से पहले स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपयोग कर रहे हैं तथा इसके पश्चात अधिशेष अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय किया जाता है। ऐसा अधिशेष वर्ष में या दिन के विभिन्न समयों पर उपलब्ध होगा तथा ऐसी अवधियों के दौरान अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध ऊर्जा की सीमांत लागत परिवर्तित होती रहेगी। इसे 15 मिनट में प्रत्येक समय स्लॉट हेतु क्रय की सीमांत लागत निकालने के द्वारा ही सही रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तथापि, मांग में भारी उतार चढ़ाव का एस.एच.पीज द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पूरा किया जाना तथा उनके सीमित साधनों के परिणाम स्वरूप ऐसे स्टेशन यू. पी. सी. एल. को विद्युत के क्रय हेतु अग्रिम रूप से विस्तृत अनुसूची

तैयार करने की स्थिति में नहीं रहते। अतः एक सरल व व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है चाहे इसमें कुछ समझौता भी करना पड़े। केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों (सी.जी.एस.) से क्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा की भारित औसत लागत, इस समस्या का कार्ययोग्य व उचित रूप से सही निदान प्रदान करती है। अतः आयोग का यह नजरिया है कि परिहारित लागत को दृष्टिकोण लेख में परिकल्पित किये अनुसार, यानि विभिन्न केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से यू. पी. सी. एल. को उपलब्ध ऊर्जा की भारित औसत लागत होना चाहिये।

- (iv) इन परियोजनाओं के लिये प्रचलित शुल्क दरों को विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 43 के साथ पठित अधिनियम की धारा 185 के अधीन विभिन्न संरक्षण प्राप्त हैं।

यह पूर्वकल्पना करता है कि किसी केन्द्रीय उत्पादक स्टेशन से राज्य ग्रिड में अन्तःक्षेपित विद्युत तथा उपयोग के बिंदु तक प्रवाह, सुदूर अवस्थित इन छोटे उत्पादक स्टेशनों द्वारा अन्तःक्षेपित विद्युत की लघु मात्रा की तुलना में सदैव अधिक हानि उठायेगा। सदैव ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार, यह आवश्यक नहीं है कि विद्युत के उपभोग से संबंधित आपूर्ति की वोल्टेज या भार केन्द्र जिसका क्रय परिहारित किया गया है, सुसंगत केन्द्रीय उत्पादक स्टेशन के लिये सदैव हानिकारक होगा। प्रणाली में अन्तःक्षेपित की गई विद्युत की प्रत्येक यूनिट के लिये उपभोग के बिंदु का अवधारण किया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, हानियां, वितरण लागत का अवयव है अतः इनका प्रभाव फुटकर शुल्क पर होता है क्रय मूल्य पर नहीं। इसलिये वर्तमान में महत्वपूर्ण लागत वह है जो हानियों सहित पारेषण या वितरण लागतों के किसी भाग पर भारित किये बिना स्रोत पर सी. जी. एस. से क्रय की लागत है।

- (v) इस प्रकार अवधारित शुल्क, वाह्य कारणों के परिवर्तित होने पर संशोधन के अधीन है।

वाह्य कारणों में परिवर्तन, यदि कोई हैं तो वे सी.जी.एस. को भी प्रभावित करेंगे तथा, क्योंकि प्रस्तावित शुल्क सी.जी.एस. के शुल्कों में से लिया गया है, ऐसे परिवर्तनों का प्रभाव स्वतः ही इसमें भी दृष्टिगोचर होगा।

- (vi) ग्रिड के साथ ऐसे स्टेशनों की संयोजकता अधिकांश रूप से 11 के.वी. की निम्न वोल्टेज पर होने के कारण यह अस्थिर रहती है। ऐसी स्थितियों में उत्पादक की प्रतिपूर्ति हेतु एक क्रियाविधि की आवश्यकता है।

इसका निदान कर लिया गया है तथा उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (हाइड्रो उत्पादन शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन व शर्तों) विनियम, 2004 में उपबंधित कर दिया गया है तथा इस में कोई शिथिलताएं प्रस्तावित नहीं हैं।

(vii) कार्बन के व्यापार से होने वाला कोई लाभ, शुल्कों के साथ साथ उत्पादक को उपलब्ध होना चाहिये।

कार्बन व्यापार क्रिया विधि क्योंकि अभी नवजात अवस्था में है इसलिये इन लाभों को अभी कुछ समय तक हिसाब में नहीं लिया जा रहा है।

5. जैसा कि पहले कहा गया है, उत्तरांचल ऊर्जा निगम लि० (यू.पी.सी.एल.) को विद्युत विक्रय करने वाले किसी हाइड्रो उत्पादक स्टेशन के शुल्क अवधारण हेतु आयोग का दृष्टिकोण पहले ही अधिसूचित विनियमों में बता दिया गया है। इन विनियमों का दृष्टिकोण मुख्यतः, शुल्क अवधारण हेतु सलाह परिव्यय दृष्टिकोण, उत्पादक स्टेशन के वार्षिक स्थिर प्रभारों (ए.एफ.सी.) के कुछ निर्णायक पहलुओं हेतु विनिर्दिष्ट मानकीय सीमाओं के कारण विचलन की पुष्टि करता है। इस दृष्टिकोण के विकल्प में स्थिर बिंदु कीमत निर्धारण (बैन्चमार्क प्राइसिंग) दृष्टिकोण तथा परिहारित लागत आधारित (एवॉइडेड कौस्ट बेस्ड एप्रोच) हैं। प्रत्येक सम्भावित दृष्टिकोणों के गुणों व अवगुणों पर चर्चा की गई है तथा दृष्टिकोण विस्तार में इन्हें रखा गया है।

6. पहले परिचालित, 1 एम डब्ल्यू तक की क्षमता वाली अति लघु हायडिल उत्पादक स्टेशनों के लिये प्रारम्भिक शुल्क हेतु दृष्टिकोण पर लेख के सावधानी पूर्वक अध्ययन के पश्चात तथा विभिन्न प्रत्यर्थियों से प्राप्त प्रत्युत्तरों व सुझावों पर विचार करने के पश्चात, आयोग एतद्वारा यह आदेश देता है कि 1 एम डब्ल्यू या इससे कम उत्पादन क्षमता के हाइड्रो उत्पादक स्टेशनों में उत्पादित विद्युत के विक्रय हेतु शुल्क अवधारण के लिये ऐसे उत्पादकों के निम्नलिखित विकल्प होंगे :-

(i) आयोग को अधिसूचना सं० एफ 9(3)आरजी/यू.ई.आर.सी./2004/842 दि० 03.01.2005 के साथ पठित उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (हाइड्रो उत्पादन शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन व शर्तों) विनियम, 2004 की अपेक्षाओं को शिथिल करते हुए उनका शुल्क, केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों से राज्य को आबंटित ऊर्जा की भारित औसत लागत के रूप में अवधारित किया जायेगा। इन विनियमों के सभी अन्य सम्बन्धित उपबंधों का लागू रहना जारी रहेगा।

- (ii) तथापि, यदि कोई उत्पादक ऐसा चयन करता है तो वह बिना किसी शिथिलता के, आयोग की अधिसूचना सं० एफ 9(3)आरजी/यू.ई.आर.सी./2004/842 दि० 03.01.2005 के साथ पठित उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (हाइड्रो उत्पादन शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2004 के उपबंधों के अनुसार अवधारण पाने के लिये स्वतंत्र होगा।

ह०/—  
(दिवाकर देव)  
अध्यक्ष